न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रिया केजरीवाल ,आई.ए.एस.

राजस्व अपील सं0– 41 / 2019

1 मोतीलाल 2. तोलाराम 3. हरिकिशन 4. पूर्णाराम पुत्रगण स्व. जैसाराम पारीक ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम नौरंगदेसर तहसील व जिला बीकानेर

अपीलाण्टन ......

–:बनाम:–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार बीकानेर
2. राजूराम 3. जयदयाल 4. गोपालराम 5. नारायण पिसरान स्व. जैसाराम पारीक ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम नौरंगदेसर तहसील व जिला बीकानेर
6 बसन्ती पुत्री स्व. जैसाराम पारीक ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम नौरंगदेसर तहसील व जिला बीकानेर हाल निवासी (जवाहरनगर) जोरावरपुरा , नोखामंडी

....रेस्पोडेंट ......

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति अभिभाशक :–

1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अपीलाण्टान।
2. बिलाल पडिहार रेस्पोडेंटगण स. 2 ता 6
3. पेराकारराज, राज्य की ओर से।

–:निर्णय:–

दिनांक–29 /01 / 2020

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अधीन न्यायालय तहसीलदार बीकानेर के इन्तकाल संख्या 355 दिनांक 02.02.2006 को अपास्त करने हेतु निवेदन किया गया है।

संक्षेप में अपील प्रकरण के आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि इन्तकाल स.355 दिनांक 2.2.06 अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बीकानेरद्वारा विरासतन दर्ज किया है वह अपीलान्टस की हद तक दुरूस्ती योग्य है। क्योकि वाके रोही ग्राम नौरगंदेसर स्थित खेत ख.न.71,433,449,520,1208,1231 कुल तादादी 37.31 हैक्टर रकबा सह. हिस्सेदार सुरजाराम, हनुमान पि. लिखमाराम 1/4 हिस्सा, मोहनराम, सोहनराम, जैसाराम पि. शिवनारायण ब.हि.ब. 3/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड रहा ह, जिसमें अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट स.2 ता 6 के पिता जैसाराम के स्वर्गवास होने पर जैर अपील इन्तकाल स.355 भरा गया जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लिपिकीय भूल स अपीलान्टस के सही नाम के बजाय मोतीलाल के स्थान पर मोतीराम एव

अधिकारी
...नेर

तोलाराम के स्थान पर तोलूराम व हरिकिशन के स्थान पर किशन तथा पूर्णाराम के स्थान पर पूनम एवं सावित्री के स्थान पर रामी नाम अंकन कर दिया है बाकी वारिसान रेस्पो. स.2 ता 8 का नाम सही अंकन किया है, के कारण अपीलांटस के नाम की हद तक जैर अपील इन्तकाल दुरूस्ती योग्य हाने से अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अपीलान्टस के वास्तविक नामों के समर्थन में वारिश प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत नौरगंदेसर , आधार कार्ड, बैंक खाता पास बुक, परिवार राशन कार्ड ,भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड एवं भारतमाला सड़क परियोजना मुआवजा प्रकरण में जारी पत्र की फोटो प्रतिया संलग्न अपील के प्रस्तुत है। जिससे यह साबित है कि अपीलान्ट के दस्तावेज अनुसार जैर अपील इन्तकाल में नामों में संशोधन कर तदनुसार समस्त राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के निर्देशों के साथ अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जावे। अपीलान्टस का जैर अपील कबा का कुछ भाग भारतमाला सड़क परियोजना के है आवाप्त हुआ था की एवज में मुआवजा राशि दने के सम्बन्ध में अपीलान्टस से रिकार्ड पेश करने की सुचना जारी की गई तो अपीलान्टस को अपने नामों में खामी होने एवं वास्तविक नाम के विपरीत अंकन का ज्ञान हुआ .तत्काल ही सम्बधित विभाग से दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया तो वहां बताया गया कि मूलरूप से त्रुटि विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय हुई है जिसकी दुरूस्ती अपील के माध्यम से ही संभव है तत्काल दिनांक 17.10.19 को जैर अपील इन्तकाल स.355 की प्रमाणित नकल प्राप्त की तो प्रथमबार वास्तविक नामों की त्रुटि की जानकारी हुई, जिसकी अपील आज प्रथम जानकारी से अन्दर मियाद पेश की जा रही है, जानबुझकर देरी से अपील पेश करने के दोषी अपीलांट नही रहे है, न्यायहित में मियाद कन्डोन की जाकर अपील अन्दर मियाद स्वीकार फरमाई जावे। अतः अपील पेश कर अर्ज है कि जैर अपील इन्तकाल स.355 दिनांक 02.02.06 वाके ग्राम नौरंगदेसर में अपीलांट के नाम तोलूराम के स्थान पर तोलाराम, मोतीराम, के स्थान पर मोतीलाल, किशन के स्थान पर हरिकिशन ,पूनम के स्थान पर पूर्णाराम , रामी के स्थान पर सावित्री पिसरान स्व. जैसाराम का नाम संशोधन कर तदनुसार नामान्तरण दर्ज करने के आदेश तहसीलदार राजस्व बीकानेर के नाम प्रदान करे। अन्य अनुतोष जो कानूनन देय हो अपीलान्ट के पक्ष में प्रदान करे।

यह अपील दिनांक 21.10.19 को प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की और से पैरोकार राज व 2 ता 6 की और से श्री बिलाल पड़िहार एडवोकेट उपस्थित आने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

बहस सुनी गयी। प्रकरण में अपीलान्ट के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए इन्तकाल स.355 दिनांक 02.02.2006 को अपास्त करने की मांग की राज पैरोकार ने राज्य हित को ध्यान मे रखते हुए निर्णय किये जाने का निवेदन किया।

हमने अपील व बहस तथा उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया। मियाद के बिंदू पर अपीलाट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का विश्वास किया जाकर न्यायहित में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए। धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी का यह तथ्य कि नामान्तरण भूलवश नामो की त्रृटि रही है । नामान्ततरण दर्ज करते समय हमारे वास्तविक नाम के स्थान पर अन्य नाम दर्ज कर दिये। जिससे हमे नुकसान हो रहा है। इससे वर्तमान में भारत माला परियोजना मे अवाप्त भूमि के मुवावजे में तथा अन्य राजकीय कार्यो में पेरशानी का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त तथ्यों के मध्य नजर यह अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित ग्राम नोरंगदेसर की नामान्तरिण संख्या 355 दिनांक 02.2.2006 निरस्त किया जाता है व प्रकरण तहसीलदार बीकानेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारान को पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। आदेश की एक प्रति तहसीलदार बीकानेर को पालनार्थ प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29-1-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रिया केजरीवाल)
आईएएस
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

क्रमांक: SDO/बीका/रीडर/20/53 29-1-2020

प्रतिलिपि तहसीलदार बीकानेर को निर्णयानुसार पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Riya Kejriwal
Date: 2020.02.04 16:40:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: